ॐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐंकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 54

सहयोग शुल्क : रु. 1 / जून : 2021

# दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सब मिलकर दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में सुधार का काम करें ।

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

दिव्यांगजनों का विकास देश का भी विकास है ।

– मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी ( गुजरात राज्य )

दिव्यांगजनों के विकास से एक नए भारत का निर्माण होगा ।

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

# निरामय हेल्थ पॉलिसी

## पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

## लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

## आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

### सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

# संपादकीय

''ऐसा कहा जाता है की इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम सोच सकते है, वो सब कुछ हम कर सकते है और हम वो सब कुछ सोच सकते है, जो आज तक हमने नहीं सोचा।''

भगवान ने यदि हमें कुछ कमियां दी और हम दिव्यांग है तो क्या हुआ ? अपने इरादों को इतना मजबूत रखना की आप दिव्यांग से 'दिव्य' बन जाओ। उन तमाम दिव्यांगो के लिए एक मिशाल बन जासे, जो निराशा के सागर में डूब जाते है। अपनी शारीरिक असक्षमता से कभी भी हार न माने सिर्फ एक बात याद रखे की... ''मानवीय क्षमता से बडी और कोई चीज हो ही नहीं सकती।'' किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सोच, आपके इरादे, आपका बुलंद हौसला हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और इसी जज्बे के साथ आप भी दुनिया में सब कुछ जीत पाओगे जिसे आप जीतना चाहते हो... मुश्किलें और हमारी सोच एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है इसलिए कहते है की...

जब दिमाग कमज़ोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है...
जब दिमाग स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती है...
जब दिमाग मजबूत होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती है...

किसी भी विपरित परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बने रहे, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी.. अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता, तो खुद एक चमत्कार बन जाए...

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है...

आओ, आप भी दिव्यांगनो के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे...


दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

जून : 2021, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष-5 अंक : 54

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

**प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.**

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

# दिव्यांग करदाता को आयकर में मिलती है छुट

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्तिगत दिव्यांग करदाताओं को आयकर में छूट का प्रावधान है । यह छूट विकलांता के प्रतिशत पर निर्भर करती है ।

सेक्शन 80- व्यक्तिगत करदाता 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक विकलांग है तो उसे 75,000/- रुपये तक की छूट मिलती है । व्यक्तिगत आयकर दाता आयकर कानून के तहत रिटर्न जमा कराते समय उक्त छूट का लाभ ले सकता है । यदि करदाता ने आयकर जमा/कटौती करवा दी है तो प्रतिदाय (Refund) की मांग कर सकता है। यह छूट आयकर कानून के सेक्सन 80 के तहत मिलती है । सरकारी कर्मचारी सेक्सन 80 के तहत उक्त छूट का लाभ ले सकते है।

यदि कोई आयकर दाता दिव्यांग रिश्तेदार के इलाज का खर्च उठा रहे है तो आयकर में 1.25 लाख रु. तक की राहत मिलेगी ।

अगर कोई व्यक्तिगत करदाता दिव्यांग रिश्तेदार के इलाज का खर्च उठा रहा है तो आयकर कानून से उसे आयकर पर अतिरिक्त राहत मिलने का प्रावधान है । आयकर दाता दिव्यांग रिश्तेदार के इलाज का खर्च उठा रहे हैं, तो आयकर में 1.25 लाख रु. तक की राहत का प्रावधान है ।

**Section 80DD :- (Benefits under section 80DD of income tax act, taxpayer can claim income tax deduction for medical trealment expanses of a disabled dependent relative)**

आयकर कानून के सेक्शन 80 डीडी के तहत व्यक्ति या HUF (अविभाजित हिंदू परिवार) इस सेक्शन के जरिए खुद पर निर्भर किसी दिव्यांग रिश्तेदार के चिकित्सा परिचर्या ईलाज, प्रशिक्षण आदि के खर्च पर टैक्स राहत का दावा कर सकता है । यदि करदाता ने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत उस दिव्यांग रिश्तेदार की देखभाल के लिए कोई निवेश किया हो, तो जमा 75000/- तक छूट के दायरे में आएगी ।

आयकर कानून के मुताबिक, व्यक्तिगत करदाता के मामले में निर्भर रिश्तेदार करदाता की पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, माता-पिता, भाई-बहन से है । वहीं HUF (अविभाजित हिन्दू परिवार) के मामले में निर्भर रिश्तेदार तय का सदस्य होना चाहिए । सेक्शन 80 डीडी का फायदा NRI को नहीं मिलता हैं ।

INCOME TAX DEPARTMENT

**INCOME TAX FOR PERSONS WITH DISABILITIES**

### दिव्यांगता प्रतिशत ।

दिव्यांग करदाता की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

अगर निर्भर रिश्तेदार 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा लेकिन 80 प्रतिशत से कम दिव्यांग है तो आयकर में 75000/- रुपये की छूट मिलेगी। यदि रिश्तेदार गंभीर रुप से दिव्यांग है अर्थात 80 प्रतिशत से ज्यादा है तो आयकर में 1.25 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इस प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अधिकृत चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरुरी होगा।

### निम्नलिखित दिव्यांगता वालों को छूट का प्रावधान है ।

श्रवण बाधित, मानसिक विमंदता, मानसिक रोगग्रस्त, सेलेब्रल पाल्सी (Cerebral palsy), दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना/अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग, लोको मोटिव डिसेबिलिटी, ऑटिज्म अस्थि विकृत।

### इन दस्तावेजों की रहेगी जरुरत ।

सेक्शन 80डीडी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों की जरुरत होती है।

1. किसी अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र।
2. पेनकार्ड (PAN CARD)
3. निर्भर रिश्तेदार की दिव्यांगता को सिद्ध करने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट।
4. फॉर्म 10-IA अगर निर्भर रिश्तेदार को प्रमस्तिष्क पक्षापात, ऑटिज्म या मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं तो इस फोर्म को जमा कराना होगा।
5. स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र (Self declaration Certificate) करदाता को निर्भर दिव्यांग रिश्तेदार के इलाज पर खर्च का उल्लेख करते हुए एक सेल्फ डिक्लेरशन सर्टिफिकेट बनाना होगा।
6. भुगतान किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें - अगर निर्भर दिव्यांग रिश्तेदार की इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करदाता कर रहा है तो क्लेम के लिए इसकी रसीदें प्रस्तुत करनी होगी।

### यह शर्त लागू रहेगी ।

यदि दिव्यांग निर्भर रिश्तेदार आयकर कानून के सेक्शन 80 के तहत टैक्स छूट का फायदा ले रहा है, तो करदाता उसके इलाज पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80DD के तहत राहत नहीं ले सकता। सेक्शन 80 के तहत अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर दिव्यांग है तो वह 75,000/- रुपये कर का टैक्स छूट का क्लेम कर सकता है। गंभीर रुप से शारीरिक दिव्यांगता के मामले में टैक्स कटौती में छूट 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है।

### कर निर्धारण वर्ष ।

करदाता की वर्ष 2019-20 ( 1अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ) की आय पर आगामी कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 ( 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ) में वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।

# केंद्र ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन: यूडीआईडी से अब ऑनलाइन जारी करेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र

**दिव्यांग प्रमाण पत्र**
**Disability Certificate**

देश में यूडीआईडी पोर्टल पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होंगे । इसका फायदा यह होगा कि दिव्यांगजन आसानी से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे । देशभर में एक जैसे प्रमाण पत्र बनेंगे तथा डेटा भी एक जगह होने से दिव्यांगजन के लिए नीति और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी ।

केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद इसका ऑफलाईन प्रमाण पत्र मिलने से बड़ी राहत मिलेगी ।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजनों के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया ।

### बैठक में सभी दिव्यांगों का केंद्रीयकृत डाटा बैंक बनाने का सुझाव दिया ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 26 नवंबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और १ अप्रैल 2021 से अनिवार्य ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सिफारिश की थी ।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है । स्वास्थ्य विभाग और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगता के मामलों में काम करने वाले विभागों को इस अधिसूचना का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है ।

### ये है नियम ।

31 मई 2021 को दिव्यांगजन की सुविधा के लिए 10 बिंदुओं का एक सुझाव पत्र केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को दिया । जिसमें सभी दिव्यांग जनों का एक केंद्रीयकृत डेटा बैंक बनाने का सुझाव भी शामिल था । गहलोत ने यूडीआईडी कार्ड योजना 2016 से लागू की थी । जिससे संपूर्ण भारत के दिव्यांगजन का डेटा एक ही जगह एकत्रित होता है । यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से दिव्यांगजन एवं उनके परिजन ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण का आवेदन कर सकते हैं । अधिकारों के नियम, 2017 ता नियम 18 (5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को बाध्य करता है ।

### विकलांगता प्रमाण पत्र के लाभ ।

# अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का ऑनलाइन सेलिब्रेशन

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड, मेमनगर द्वारा आयोजित स्पेशल समर कैंप के तहत हर एक शनिवार को स्पेशल डे की तरह मनाया जाएगा। जिसमें 15 मई, शनिवार को पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन रखा गया था । हर एक परिवार के लिए माता-पिता एक आधार स्तंभ की तरह होते है। "परिवार के साथ बैठकर खाना, पीना, रहना हर एक व्यक्ति को एक तरह की मानसिक शांति प्रदान करता है" इस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रथम सेशन में संस्कृत श्लोक गायक मास्टर ओम व्यास के माता-पिता की जिंदगी की मेहनत की पूरी कहानी उन्ही के शब्दों में एक मोटिवेशनल स्पीच के रुप में रखी गई थी। दूसरे सेशन में डिब्बा पिकनिक का आयोजन किया गया था। जिसमें मनोदिव्यांग बच्चोंने खुद ही अलग-अलग तरह की डिशेज तैयार की थी और ऑनलाइन ही अपने माता-पिता और परिवार के साथ बैठकर उसका आनंद उठाया था। इस तरह से समर कैंप के दूसरे शनिवार को "परिवार स्पेशल डे" के रुप में ऑनलाइन मनाया गया।

# कोरोना योद्धा डॉ. राजेश सुमन के जज्बे को देश का सलाम
## दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर बिखेर रहे मुस्कान

कोरोना जैसी महामारी हर चेहरे से मुस्कान छीन रही है । हर कोई परेशान-हताश है । ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. राजेश कुमार सुमन दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के मिशन में डटे हुए हैं । राष्ट्रीय न्यास से निबंधित जिले कि संस्था आरोग्या फाउंडेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एवं कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के द्वारा डुमरा रोड में संचालित दिव्यांगन के निदेशक हैं । वे खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे । मगर, अपने हौसले और जज्बे की बदौलत कोरोना को हराया और ड्यूटी पर लौट आए । दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के चेहरों पर मुसकुराहट बिखेरने की कोशिश में लगे हैं । बड़ी उम्मीदों के साथ दिव्यांग बच्चों को लिए माँ-बाप जब उनके क्लीनिक का दरवाजा खटखटाते हैं तब डॉ. सुमन की फिजियोथेरेपी पाते ही वे बच्चे खिलखिला उठते हैं, मानों उनकी सारी तकलीफें पलभर में गायब हो जाती हैं । बीमार और परेशान लोगों के लिए उनकी पहल किसी संजीवनी से कम नहीं है । कोरोना मरीजों की देखभाल के दौरान पिछले साल डॉ. राजेश सुमन खुद संक्रमित हो गए थे । हालात इतने बिगड़ गए थे कि वे १५ दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे । जब स्वस्थ होकर धर लौटे तो एकबार फिर बिना रुके-थके हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाने के मिशन में जुट गए ।

**लौटकर आया तो दिल की दूरियों को पाटने की कोशिश की।**

डॉ. सुमन बताते हैं कि हम तो कोरोना से प्रभावित भी हुए थे। लेकिन, इससे बचके जब आए तो यह नहीं सोचे थे कि कोरोना पॉजिटिव हो गए तो काम छोड़ देना चाहिए। असल में मेरे जेहन में यह बात थी कि कोरोना को लेकर समाज में जितना भेदभाव बढ़ गया है कि लोग एक-दूसरे से दूर-दूर रहने लगे है। मेरा मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत दो गज की दूरी जरुरी है मगर, दिल की दूरी नहीं होनी चाहिए। कोरोना पीड़ित से भेदभाव मत करिए। कम से कम उनके साथ सहानुभूति का भाव रखिए। अच्छे से व्यवहार करिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसी चीज पर हमने फोकस किया। लोगों से कहा कि मोबाइल पर ही सही हालचाल लेते रहिए इससे भी मनोबल बढ़ेगा।

दूसरा मेरा फोकस्ड यह था कि वैसे दिव्यांग बच्चे जिनका रिहैबिटेशन हम करते हैं, फिजियोथेरेपी-ट्रीटमेंट देते हैं वह तो होते रहना चाहिए रिहैबिटेशन प्रॉसेस नहीं रुके इस कोविड प्रोटोकॉल में उस पर फोकस हमारा ज्यादा है।

उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि जो बच्चों के समूह को दो-तीन भाग में बांटकर अलग-अलग इलाज किया जाता है। मोबाइल और वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वक्त निर्धारित कर दिया। कह दिया कि तय समय पर अभिभावक तत्पर रहेंगे और मोबाइल-वीडियो के माध्यम से ही उनका इलाज हो जाएगा। इसी के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के नाते मेरी, अकोपेशनल थेरेपिस्ट, काउंसिलर और स्पीच देने वाले की ड्यूटी लग गई।

डॉ. सुमन ने बताया कि उनकी संस्था नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार के अधीन है और उसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को देखा जाता है। उसके तहत सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का हम लोग रिहैबिटेश पुनर्वास इस कोविड प्रोटोकॉल में भी कर रहे हैं। ताकि, बच्चों का कोई दिक्कत न हो।

# माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांग मूक, बधिर पेंटर अजय गर्ग की तारीफ की

आत्मविश्वास के साथ कड़ी चुनौतियों का सामना करके और सकारात्मक सोच के साथ बाधाओं को पार करने से व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयो को छुता है । यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूक-बधिर पेंटर को लिखे पत्र में कही, जिसने उन्हे अपनी एक कृति भेजी थी । जयपुर के पेंटर अजय गर्ग प्रधानमंत्री को अपनी एक पेंटिंग भेजने के बाद उनसे मिले जवाब से बहुत उत्साहित हैं । बचपन में एक हादसे के बाद गर्ग मूक-बधिर हो गये थे । प्रधानमंत्री गर्ग के हुनर और उनकी जिंदगी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जयपुर निवासी कलाकार को कई लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया । पीएम मोदी ने गर्ग को लिखे पत्र में कहा, "आपका जीवन ऐसे अनेक लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कठिनाइयों और अवरोधों का सामना किया है ।" उन्होंने कहा कि कला मानव मन की संवेदनाओं को आकार देने का तथा रुचि को रचनात्मकता के साथ जोड़ने का अद्भुत माध्यम है । प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि गर्ग की रचनाओं में पेंटिंग के प्रति उनका समर्पण और निपुणता साफ झलकती है । पीएम मोदी ने अपने पत्र में कहा, "आत्मविश्वास के साथ कठिन चुनौतियों और मुश्किल हालात का सामना करके तथा सकारात्मक सोच के साथ बाधाओं को पार करने से व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों को छूता है ।" प्रधानमंत्री ने गर्ग के उज्जवल भविष्य की कामना भी की । उन्होंने कहा, "कला के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि और उपलब्धियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें ।" दिव्यांगता के बावजूद गर्ग ने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया ।

गर्ग ने अपने समर्पण, परिश्रम और सतत अभ्यास से पेंटिंग की दुनिया में अपने लिए जगह बनाई है और देश-विदेश में उनकी कलाकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित हुई हैं । उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है । गर्ग जयपुर में मूक और बधिर बच्चों को पेंटिंग का नि:शुल्क प्रशिक्षण भी देते हैं । प्रधानमंत्री अक्सर समय निकालकर उन्हें मिलने वाले पत्रों में से कुछ का जवाब देते हैं ।

# दिव्यांग प्रीमियर लीग में कोलकाता को हरा चेन्नई बना चैंपियन

## सोनभद्र के लव वर्मा का शानदार प्रदर्शन

दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दुबई के शारजाह अंतराष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे दिव्यांग प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपरस्टार्ज़ ने कोलकाता नाइटफाईटर्स को हरा कर चैंपियन बनी। बता दें कि अनपरा सोनभद्र के लव वर्मा का चयन दिल्ली चैलेंजर्स में हुआ था लेकिन कोलकाता नाइटफाईटर्स के खिलाड़ी के कोविड के कारण नही आने पर कोलकाता टीम में उपकप्तान बना कर लिया गया। डीपीएल 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक खेला गया, पहले ये 8 अप्रैल से होना था लेकिन कोविड गाइडलाइंस के कारण 5 दिनों तक क्वारंटाइन रखा गया। कोलकाता नाइटफाईटर्स के तरफ से लव वर्मा ने शानदार उम्दा प्रदर्शन किया। गुजरात के खिलाफ लव वर्मा ने 4 ओवरों में 1 मेडन 10 रन देकर 4 विकेट लिए और मैन ऑफ दी मैच बने, दिल्ली के खिलाफ विकेट नहीं मिला किंतु फाइनल में चेन्नई सुपरस्टार्ज़ के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिये। कुल 3 मैचों में 6 विकेट लेने के साथ ही तीनों मैच में दूसरे बल्लेबाजों के पूरे मैच में रनर के साथ 20 ओवरों तक फील्डिंग के लिए शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के आयोजन समिति ने टीम इंडिया के रविन्द्र जडेजा से तुलना तक कर डाली। इससे पहले कोलकाता नाइटफाईटर्स ने दिल्ली चैलेंजर्स, गुजरात हिटर्स को हराकर फाइनल पहुंचा वहीं चेन्नई सुपरस्टार्ज़ ने राजस्थान राजवाड़ा, मुंबई आइडियल को हराकर फाइनल पहुंचा। इस तरह पहले डीपीएल की विजेता टीम चेन्नई सुपरस्टार्ज़ और उपविजेता कोलकाता नाइटफाईटर्स बनी।

# इंदौर के बृजेश ने दिव्यांग प्रीमियर लीग में दिखाया दम

यूएई में हाल ही में आयोजित हुए दिव्यांग प्रीमियर लीग में मुंबई आइडियल्स टीम की कप्तानी करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( आइआइटी ) इंदौर के उपप्रबंधक बृजेश द्विवेदी ने कहा कि मैने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और कभी भी दिव्यांग होने के कारण खुद को कम नहीं आंका । आइआइटी इंदौर ने भी मुझे सभी आवश्यक सहायता प्रदान की । संस्थान के प्रयासों के कारण ही सफलता मिल पाई है । मेरी सफलता के लिए परिवार, दोस्तों और इंदौर-सतना के रहवासियों का अहम् योगदान रहा है, जिन्होंने मेरी हौसला-आफजाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी ।

बृजेश ने अनुकरणीय क्षमताएं दिखाते हुए राजस्थान राजवाड़े के खिलाफ चार विकेट लिए और 11 रन बनाकर मैन आफ द मैच रहे । चेन्नई सुपरस्टार के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने एक विकेट लिया और 25 रन बनाए । ब्रजेश चार सालों से भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का हिस्सा है ।

# कोरोना काल में दिव्यांग खिलाड़ियों के खिले चेहरे

## 11 दिव्यांग खिलाड़ियो को मिली सीधी नियुक्ति

कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है । कार्मिक विभाग ने 16 पदक विजेता खिलाड़ियों को सचिवालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के के पद पर सीधी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं । इसमे 11 दिव्यांग खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी गई हैं । सभी खिलाड़ियों को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के आधार पर अस्थाई नियुक्ति मिलेगी । कार्मिक विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय खुलने के 15 दिन में इन खिलाड़ियों को कार्यभार संभालना होगा । कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में लिखकर सूचना देनी होगी ।

**कार्मिक विभाग ने इन खिलाड़ियों को दी नियुक्ति ।**

| | नाम | खेल |
|---|---|---|
| १. | नितिन कुमार | पैरा शूटिंग |
| २. | ऋषिराज राठौड़ | पैरा एथलेटिक्स |
| ३. | कपिल शर्मा | पैरा एथलेटिक्स |
| ४. | ज्योति कुमार | पैरा एथलेटिक्स |
| ५. | मुनिया | पैरा एथलेटिक्स |
| ६. | गौरव स्वामी | पैरा एथलेटिक्स |
| ७. | प्रदीप कुमार | पैरा एथलेटिक्स |
| ८. | किरण टांक | पैरा वॉलीबॉल |
| ९. | निर्मला कुमावत | पैरा वॉलीबॉल |
| १०. | मोना अग्रवाल | पैरा वॉलीबॉल |
| ११. | स्वाति दूघवाल | पैरा वॉलीबॉल |

# खुद ट्राइसाइकिल पर चलते हैं लेकिन दुसरो को कर रहे है कोरोना से जागरुक

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के मुताबिक लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तो भगवान सिंह खुद दिव्यांग है, ट्राईसाईकिल पर चलते है और उन्हें सहारे ही जरुरत होती है, मगर इस कोरोना काल में उन्होंने लोगों में जागृति लाने का बीड़ा उठाया है। सॉची जनपद की ग्राम पंचायत मेढ़की में कोरोना वॉलेंटियर दिव्यांग भगवान सिंह कोरोना महामारी के विरुद्ध जारी इस लड़ाई में लोगों को जागरुक करने में लगे हैं। वे गांव-गांव में लोगों को मास्क लगाने, दो गज की दूरी बनाए रखने और कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरुक कर रहे हैं।

# गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा जरुरीयातमंदो को सहाय दी गई

गायत्री विकलांग मानव मंडल की और से दरजीपुरा गांव में आदर्श स्कूल की 150 बहनों को सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। सब अध्यापक और उनके आचार्य चकित हो गए। यह जरुरी था बहनों को इस वस्तु को देने से बहुत अच्छा लाभ होगा और उन को अच्छी तरह से समझाया गया इसका उपयोग करना है और समय सर इसका लाभ लेना है इससे आगे कोई बीमारी न फैल इसका ध्यान रखना है सब लड़किया खुश हो गई उनके आचार्य ने बताया ऐसा ज्ञान अभी तक किसी ने नहीं दिया गायत्री विकलांग मानव मंडल की ओर से यह पहली बार ऐसा नेक काम किया गया। हमारी ओर से आपको धन्यवाद श्रीमान दिनेश भाई ने बताया कि देवी ने बताया हमारी संस्था को प्रमाण पत्र भी दिया गया।

गायत्री विकलांग मानव मंडल की ओर से जरुरतमंद दिव्यांग भाई-बहनों को ट्राईसाईकिल और सिलाई मशीन भेंट दी गई। रोजी रोटी कमाने के लिए दिव्यांग भाई बहनों किसी के आगे हाथ ना फैलाए यह संस्था का लक्ष्य है। हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो रुकमणी देवी ने बताया।

दिव्यांग भाई-बहनों का नौकरी धंधा छूट गया बेरोजगार हो गए उन बहनों को मदद गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा सेवादाताओं से मिली दान की धनराशि से की गई।

# ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

**(N.G.O.)**

संचालित

# ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

## मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

**शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे**

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर